राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1795/2024
दयाराम मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी, वेटनरी सब–सेंटर, तह. हिण्डोली, जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश यादव, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पशुधन निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण प.चि. धोवडा, बून्दी से उपकेन्द्र पालडी जोड, पाली किया गया है। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि पूर्व में अपीलार्थी ने इस आलोच्य आदेश को इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1440/2024 में चुनौती दी है। उक्त अपील में अधिकरण ने यह आदेश दिये थे कि अपीलार्थी 2 सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 2 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश पारित कर अभ्यावेदन का निस्तारण करेगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अधिकरण के उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रस्तुत किया गया था। उक्त अभ्यावेदन पर निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 03.05.2024 पारित कर अभ्यावेदन खारिज किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का अभ्यावेदन गलत आधारों पर खारिज किया गया है। अपीलार्थी अल्पवेतनभोगी कर्मचारी है और उसका स्थानांतरण बूंदी से सुदूर स्थान पाली में 500 किमी. दूर किया गया

है, जो गलत है। अपीलार्थी की माता की देखरेख करने के लिये अपीलार्थी के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया है।

2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

3. अपीलार्थी ने अपने अभ्यावेदन में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि वह अल्पवेतनभोगी कर्मचारी है। केवलमात्र अपने घर की परिस्थितियों के कारण अपना स्थानांतरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का अभ्यावेदन जो दिनांक 03.05.2024 के द्वारा निस्तारित किया है, उसमें यह अंकित किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण लोकहित में प्रशासनिक कारणों के दृष्टिगत किया गया है। स्थानांतरण तब तक गलत होना नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें कोई दुर्भावना रही हो। यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2019 से लगातार कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित समय तक पदस्थापित रखने के बाद स्थानांतरित किया गया है। अतः हम स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

4. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)